समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी /18 रीवा

चिन्तामणि द्विवेदी पिता हरप्रसाद द्विवेदी जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पटेहरा बस्ती वानी, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

--- निगरानीकर्ता

बनाम

(1) रमेश प्रसाद पुत्र रामदरस द्विवेदी
(2) राधेश्याम पुत्र रामदरस द्विवेदी
(3) श्यामवती विधवा पत्नी रामदरस द्विवेदी
(4) शान्ती पुत्री रामदरस द्विवेदी पत्नी रामदीन पाण्डे
(5) विद्या पुत्री रामदरस द्विवेदी पत्नी कोमल प्रसाद तिवारी
(6) दुर्गा पुत्री रामदरस द्विवेदी पत्नी विनोद कुमार तिवारी

सभी पेशा खेती वर्तमान पता पटेहरा बस्ती वानी, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

--- अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्र. 164/अ–27/ 15–16 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2018 के विरूद्ध ।

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

(1) यह कि, अनावेदकगणों के पिता स्व. श्री रामदरस द्वारा विवादित भूमियों का बंटवारा कराने हेतु तहसीलदार हनुमना के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र से प्रकरण दर्ज किया 90/अ–27/13–14 दायर किया जाकर विधिवत् हल्का पटवारी से पुल्ली तैयार कराई जाकर अनावेदक एवं आवेदक की आपसी सहमति से विधिवत् नियमानुसार फर्द बंटवारा बनाया गया जिस फर्द बटवारा पर अनावेदक के सहमति के हस्ताक्षर भी हैं ।

क्रमशः.....................2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / रीवा / भू.रा / 2018 / 0902

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
6–3–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थितहोकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारायह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 164 / अ–27 / 2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 18.01.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवेदक के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया था कि सहमति के आधार पर पुल्ली बनाकर बटवांरा का आदेश हुआ था और सहमति के आधार पर हुये बटवारे की अपील नहीं होती है। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पत्रिका दिनांक 18.1.18 को प्रचलनशीलता पर प्रकरण का निराकरण किया जाना है। 3– अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 164 / अ–27 / 2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 18.01.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें। सदस्य	